UPHR040147012016

Presented on : 10-04-2000
Registered on : 08-11-2016
Decided on : 27-09-2023
Duration : 23 years, 5 months, 17 days

न्यायालय-मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हरदोई ।

उपस्थित-लाल बहादुर गौंड (उ०प्र०न्यायिक सेवा)
J.O. Code -U.P.-**UP02035**
दाण्डिक वाद संख्या-21948/2022

सरकार.....अभियोगी

बनाम

1. पुनीत कुमार मिश्रा पुत्र स्व० बैकुण्ठ नाथ मिश्रा,
2. किरन मिश्रा पत्नी स्व० बैकुण्ठ नाथ मिश्रा,
3. नीतू मिश्रा पत्नी राजीव मिश्रा,
4. राजीव मिश्रा पुत्र स्व० बैकुण्ठ नाथ मिश्रा,
5. ममता पुत्री दिनेश चन्द्र मिश्रा,
6. अनीता शुक्ला पत्नी लालजी उर्फ विजय प्रकाश शुक्ला,
7. लालजी उर्फ विजय प्रकाश शुक्ला पुत्र त्रिभुवन प्रसाद शुक्ला,

निवासीगण मो० 386 बैटगंज, थाना कोतवाली शहर, जिला हरदोई।
.... अभियुक्तगण

मुकदमा अपराध सं०-381/2018
धारा- 498 ए, 323/34, 504 भा०दं०सं०
एवं 3/4 दहेज प्रति० अधि०।
. थाना-कोतवाली देहात जिला हरदोई ।

निर्णय

प्रस्तुत मुकदमा अपराध सं०-381/2018, में थाना कोतवाली देहात जिला हरदोई द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रेषित आरोप पत्र के आधार पर अभियुक्तगण अंकित तिवारी, राकेश तिवारी एवं पुन्तो देवी के विरूद्ध धारा- 498 ए, 323/34, 504 भा०दं०सं० एवं 3/4 दहेज प्रति० अधि० के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के सम्बन्ध में विचारण किया गया है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक के अनुसार वादी के बेटी रूचित गिरि की शादी हिन्दू रीति रिवाज से दिनांक 03.02.2013 को अंकित तिवारी के साथ हुई थी। विवाह के बाद से ही ससुराली जन दान दहेज से संतुष्ट नहीं थे, लगातार दहेज मांगते रहे, दहेज की बात को लेकर दिनांक 07.09.2018 को मेरी बेटी को अंकित तिवारी, राकेश तिवारी, प पन्तों देवी ने मेरी बेटी को लात-घूसों व डंड़ों से मारापीटा। मेरी बेटी ने सारी बातें कल दिनांक 07.09.2018 को समय लगभग 10.30 बजे बताया। तब मैं अपनी बेटी को ससुराल विकास नगर, शिवपार महोलिया, थाना कोतवाली देहात आज सुबह आया तो उपरोक्त लोगों ने मुझें भी गाली दी एवं मेरे बेटे मंयक तिवारी व बेटी रूचिता तिवारी को मारापीटा।

संबंधित थाने पर दी गई वादी मुकदमा की लिखित तहरीर के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 381/2018, धारा-498 ए, 323/34, 504 भा०दं०सं० एवं 3/4 दहेज प्रति० अधि० के अंतर्गत अभियुक्तगण अंकित तिवारी, राकेश तिवारी एवं पुन्तो देवी के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया।

विवेचनाधिकारी द्वारा प्रारम्भ की गयी। विवेचनाधिकारी ने घटना स्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी तैयार किया एवं गवाहों के बयान अंकित किए। विवेचनाधिकारी ने विवेचना

की अन्य औपचारिकताएँ पूर्ण करने के उपरान्त उक्त मामले में अभियुक्तगण अंकित तिवारी, राकेश तिवारी एवं पुन्तो देवी के विरूद्ध धारा 498ए, 323/34, 504 भा०दं०सं० एवं 3/4 दहेज प्रति० अधि० के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के सम्बन्ध में पर्याप्त साक्ष्य पाते हुए न्यायालय में विचारण हेतु आरोपपत्र प्रेषित किया गया।

आरोप पत्र पर प्रसंज्ञान लेने के उपरान्त अभियुक्तगण को न्यायालय द्वारा तलब किया गया तथा अभियुक्तगण ने न्यायालय उपस्थित आकर अपनी जमानत करायी व 207 दं०प्र०सं० के तहत अभियोजन प्रपत्रों की प्रतियां प्रदान की गयी।

न्यायालय द्वारा दिनांक 16.09.2022 को अभियुक्तगण अंकित तिवारी, राकेश तिवारी एवं पुन्तो देवी के विरुद्ध धारा- 498ए, 323/34, 504 भा०दं०सं० एवं 3/4 दहेज प्रति० अधि० के अंतर्गत दण्डनीय अपराध का आरोप विरचित किया गया, जिससे अभियुक्तगण ने इनकार किया तथा विचारण की याचना की।

अभियोजन की ओर से उपर्युक्त आरोपों को साबित करने के लिए कुल तीन साक्षीगण पी०डब्लू०-01 रूचिता तिवारी (पीड़ता) पी०डब्लू०-02 सुरेश गिरि (वादी मुकदमा) एवं पी०डब्लू० 03 मंयक गिरि को न्यायालय के समक्ष परीक्षित कराया गया है।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की ओर से अभियोजन प्रपत्रों की औपचारिक सत्यता को अभियुक्तगण की ओर से स्वीकार किया गया है। अतः अभियोजन साक्ष्य समाप्त किया गया गया।

अभियोजन साक्ष्य समाप्त होने पर अभियुक्तगण का बयान अंतर्गत धारा-313 दं०प्र०सं० अंकित किया गया, जिसमें अभियुक्तगण ने घटना को गलत बताया तथा मुकदमा रंजिशन चलना कहा है तथा सफाई साक्ष्य से इनकार किया।

मैंने विद्वान सहा०अभियोजन अधिकारी एवं बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

अब देखना यह है कि क्या अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोप धारा 498ए, 323/34, 504 भा०दं०सं० एवं 3/4 दहेज प्रति० अधि० साबित करने में सफल रहा है।

अभियुक्तगण के विरुद्ध वादी की बेटी रूचिता का विवाह अभियुक्त अंकित तिवारी के उपरान्त से ही वादी की बेटी से से समय-समय पर, बहद विकास नगर, महोलिया शिववार, थाना कोतवाली देहात, जिला हरदोई आपने अपने सह-अभियुक्तगण के साथ मिलकर में वादी के बेटी से अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया, मारापीटा व जान से मारने की धमकी देने का आक्षेप है।

अभियोजन की ओर परीक्षित साक्षी पी०डब्लू०-1 रूचिता (पीड़िता) ने अपनी मुख्य परीक्षा में सथपथ कथन किया है कि मेरा विवाह अंकित तिवारी के साथ लगभग दस साल पहले हुआ था। अंकित तिवारी, ससुर राकेश, सास पन्तो देवी ने मझें दहेज के लिए प्रताड़ित नहीं किया और न ही दहेज की मांग की न ही मेरे ससुरालीजन ने गाली गलौज करते हुए मारापीट की। कुछ लोगों के बहकावे में आकर थाने पर मुकदमा लिखाया था। मेरे पुलिस को बयान नहीं दिया था।

उक्त साक्षी के द्वारा अभियोजन कथानक का समर्थन न किये जाने पर अभियोजन द्वारा उक्त साक्षी को पक्षद्रोही घोषित करते हुए उसकी प्रतिपरीक्षा की गयी। उक्त साक्षी ने उसकी प्रतिपरीक्षा में गवाह को उसका 161 दं०प्र०सं० का बयन पढ़कर सुनाया गया तो गवाह ने इंकार किया और कहा कि मैने ऐसा कोई बयान नहीं दिया था। पुलिस ने कैसे लिख लिया मैं इसकी वजह नहीं बता सकती। मेरे पति के सहयोग से दो बच्चे है। मैं अपने मायके आती जाती हूं। मेरे पिता जी ने जिसके बहकावे में आकर मुकदमा लिखाया था, मुझें नाम नही मालूम है। मैं अपने ससुराल में अपने पति व ससुरालीजन के साथ राजीखुशी के साथ रह रही हूं।

अभियोजन की ओर परीक्षित साक्षी पी०डब्लू०-1 सुरेश गिरि (वादी मुकदमा) ने अपनी मुख्य परीक्षा में सथपथ कथन किया है कि मैंने अपनी लड़की रूचिता का विवाह अंकित के सिाा आज से लगभग दस वर्ष पूर्व किया था। विवाह के बाद अंकित, राकेश और पन्तो ने मेरी लड़की को गाली गलौज व मारपीट करते थे। मैंने थाने पर मुकदमा लिखाया था। तहरीर शामिल पत्रावली है, जिस पर मेरे हस्ताक्षर बने है, जिसे देखकर तस्दीक कर रहा हूं, जिस पर

प्रदर्श क-1 डाला गया। मैंने पुलिस को बयान दिया था।

बचाव पक्ष की ओर से उक्त साक्षी की प्रतिपरीक्षा की गयी तो उक्त साक्षी ने सशपथ कथन किया कि अंकित, राकेश और पन्तो मेरे सामने गाली गलौज करते हुए मारपीट नहीं की थी और न ही दहेज मांगा हो और न ही मेरी लड़की के साथ्ज्ञ प्रताड़ना की थी। मैंने थाने पर मुकदमा व पुलिस को बयान कुछ लोगों के कहने पर दिया था।

साक्षी द्वारा अभियोजन कथानक का समर्थन न किये जाने पर, अभियोजन द्वारा उक्त साक्षी की पुनः परीक्षा की गयी, परन्तु उक्त साक्षी से की गयी पुनः परीक्षा में अभियोजन पक्ष ऐसा कोई तथ्य पत्रावली पर लाने में पूर्णतः असफल रहा है, जिससे अभियोजन कथानक का लेशमात्र भी समर्थन होता हो।

अभियोजन की ओर परीक्षित साक्षी पी०डब्लू०-3 मंयक गिरि ने अपनी मुख्य परीक्षा में सथपथ कथन किया है कि मैंने अपनी बहन का विवाह अंकित के साथ दस साल पहले किया था। मेरी बहन के ससुराल वालों ने मेरे सामने मेरी बहन से दहेज मांगते हुए, गाली गलौंज करते हुए मारपीट नहीं की थी। मैंने पुलिस को बयान दिया था। मैंने पुलिस को बयान भी नहीं दिया था।

उक्त साक्षी के द्वारा अभियोजन कथानक का समर्थन न किये जाने पर अभियोजन द्वारा उक्त साक्षी को पक्षद्रोही घोषित करते हुए उसकी प्रतिपरीक्षा की गयी। उक्त साक्षी ने उसकी प्रतिपरीक्षा में गवाह को उसका 161 दं०प्र०सं० का बयन पढ़कर सुनाया गया तो गवाह ने इंकार किया और कहा कि मैने ऐसा कोई बयान नहीं दिया था। पुलिस ने कैसे लिख लिया मैं इसकी वजह नहीं बता सकता। मेरी बहन रूचिता इस समय अपने ससुराल में अपने पति के साथ रह रही है।

उक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्षीगण द्वारा अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया गया है। यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा समस्त अभियोजन प्रपत्रों की औपचारिक सत्यता स्वीकार की गयी है, परन्तु उक्त अभियोजन प्रपत्र मात्र सम्पोषक साक्ष्य की श्रेणी में आते हैं। चूंकि अभियोजन पक्ष अपना मामला अभियुक्तगण के विरुद्ध स्वयं द्वारा प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य के माध्यम से सिद्ध नहीं कर सका है, तब ऐसी दशा में मात्र सम्पोषक साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण को दोषसिद्ध किया जाना न्यायोचित नहीं है।

उपर्युक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि प्रस्तुत मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किये गये अभियोजन साक्षी द्वारा न्यायालय के समक्ष किये गये सशपथ बयान न केवल परस्पर विरोधाभासी है, अपितु अभियोजन कथानक के भी प्रतिकूल हैं।

मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों तथा पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्य के परिशीलन उपरान्त न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि प्रस्तुत मामले में अभियुक्तगण अंकित तिवारी, राजेश तिवारी एवं पन्तों तिवारी के विरूद्ध आरोपित मुकदमा अपराध संख्या 381/2018, धारा-498 ए, 323/34, 504 भा०दं०सं० एवं 3/4 दहेज प्रति० अधि०, थाना कोतवाली देहात, जिला हरदोई युक्ति युक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। फलस्वरूप अभियुक्तगण आरोपित अपराध से दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्तगण अंकित तिवारी, राजेश तिवारी एवं पन्तों तिवारी को मुकदमा अपराध सं०-381/2018, थाना कोतवाली देहात, जिला हरदोई में धारा- 498 ए, 323/34, 504 भा०दं०सं० एवं 3/4 दहेज प्रति० अधि०, के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्तगण जमानत पर है, उसके द्वारा प्रस्तुत बंध पत्र एवं जमानतनामें निरस्त किए जाते हैं तथा सम्बन्धित प्रतिभुओं को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है। अभियुक्तगण को धारा-437A दं०प्र०सं० के अंतर्गत निर्देशित किया जाता है कि वह अपील दाखिल होने तक अथवा छः माह की अवधि तक 20 हजार रुपये का एक जमानत एवं समान धन राशि का

निजी बंध पत्र दाखिल करे।

दिनांक-27.09.2023 **(लाल बहादुर गौंड)**
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
हरदोई ।

यह निर्णय तथा आदेश मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करने के उपरान्त आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांक- 27.09.2023 **(लाल बहादुर गौंड)**
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
हरदोई ।